

सं० सं० 14/एम 11-2/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 25.11.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	असगरी खातुन पति-कुदुस खॉन ग्राम-मकरन्दपुर पो०-लक्ष्मणनगर थाना-गाय घाट जिला-मुजफ्फरपुर पंजी/ओ०पी०डी 068215/15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
2	विमलावती देवी पति-राम ईश्वर प्रसाद चौरसीया ग्राम-जुड़ापकड़ी पो०-भैरोगंज थाना-रामनगर जिला-प० चम्पारण पंजी/ओ.पी.डी-006156/15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
3	इन्द्रदेव प्रसाद पिता-जगदीश प्रसाद ग्राम-बजराचक पो०+थाना-कतरीसराय जिला-नालंदा सी.आरनं०-20095/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	विपट भगत पिता-स्व० जैएलु भगत ग्राम-माधोपुर पो०-वसंतपुर थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली सी.आरनं०-137673/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

31/11/15
प/11/15

5	रौशनी देवी पति-चैतन्य हेम्ब्रम ग्राम-तीन कोनवां पो0-हरिपुरकला थाना-मुरलीगंज जिला-मधेपुरा सी.आरनं0-110406 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत ।
6	नथु साह पिता-विशु साह ग्राम-बथना पो0+थाना-मोतीपुर जिला-मुजफ्फरपुर सी.आरनं0-128349 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत ।
7	रंजु श्रीवास्तव पति-कंचन श्रीवास्तव ग्राम-रामधनपुर बैरागी पो0-आर.एस. थाना-कोतवाली जिला-गया सी.आरनं0-138308 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत ।
8	मंजु देवी पति-कृष्ण नन्दन साह ग्राम-राइसर पो0-वासुदेवपुर थाना-कोतवाली जिला-मुंगेर सी.आरनं0-112710 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत ।
9	सोमनी देवी पति-शिव प्रसाद यादव ग्राम-टोका पो0-औराही थाना-गम्हरीया जिला-मधेपुरा पंजी / ओ.पी.डी-006862 / 14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत ।
10	सिकन्दर यादव पिता-नागेश्वर राय ग्राम-पोझी दक्षिण टोला पो0-पोझी, थाना-डेरनी जिला-सारण सी.आर नं0-66383 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत ।
11	सुनील कुमार पिता- हरेन्द्र सिंह ग्राम-पो0+थाना-गड़खा जिला-सारण सी.आरनं0-ई. 005759	गुर्दा रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत ।

01/11/13
4/11/15 2

12	रामपती देवी पति-परमेश्वर महतो ग्राम-ऐजनीघाट पो0+थाना-विरूपुर जिला-लखीसराय सी.आरनं0-91131 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
13	लैला खातुन पति-मो0 कलीमउद्दीन ग्राम+पो0-बकसौती थाना-गोविन्दपुर जिला-नवादा सी.आरनं0-59265 / 13	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
14	उर्मिला देवी पति-अवधेश प्रसाद ग्राम-पो0-कोरावा थाना-हिलसा जिला-नालंदा सी.आरनं0-122667 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
15	सीमा देवी पति-सरोज कुमार साह ग्राम-पो0+थाना-सिंधीया जिला-समस्तीपुर सी.आरनं0-140332 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
16	प्रभु सिंह पिता-राम सुन्दर सिंह ग्राम+पो0-जाफर पट्टी थाना-राजापाकड़ जिला-वैशाली सी.आरनं0-138677 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
17	पुष्पा देवी पति-स्व. अजय सिंह ग्राम-नन्दपुर पो0-सेवतर थाना-नारदीगंज जिला-नवादा सी.आरनं0-133697 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
18	संजय राउत पिता-शत्रुधु राउत ग्राम-पो0-मोहनपुर थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर सी.आरनं0-122886 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

3/11/13
4/12/13

19	ललन शर्मा पिता-स्व. कुलदीप सिंह ग्राम-शेखपुरा पो0-उत्तरशेरथु थाना-घोषी जिला-जहानाबाद सी.आरनं0-122226 / 15	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
20	कोकीला देवी पति-बच्चा राय ग्राम-पो0-मोरसंडी थाना-मोतीपुर जिला-मुजफ्फरपुर सी.आरनं0-137440 / 15	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
21	चन्दना देवी पति-विजय कुमार दास ग्राम-कुरसेल पो0-झौवा थाना-कदवा जिला-कटिहार सी.आरनं0-80542 / 15	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
22	मिर्णालीनी सिन्हा पति-कृष्णा कुमार ग्राम-43 न्यु कालोनी, चौधरी टोला,पो0-महेन्दु, थाना-सुल्तानगंज, जिला-पटना सी.आरनं0-87926 / 15	कैसर रोग.	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
23	शंभु मंडल पिता-सबुरी मंडल ग्राम-विशनपुरा पो0-विशनपुरा जीछो थाना-लोदीपुर जिला-भागलपुर सी.आरनं0-98087 / 15	हृदय रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
24	ज्ञान्ती देवी पति-सच्चिदानंद सिंह ग्राम-गेरे पो0-मानपुर थाना-मुफसिल जिला-गया सी.आरनं0-135499 / 15	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
25	सानीया नाज पति-मो0 रजा सिद्धकी ग्राम-मोकामा मोदन टोला पो0-थाना-मोकामा जिला-पटना सी.आरनं0-135676 / 15	हृदय रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।

26	सुनैना देवी पति-राज नारायण राय ग्राम-माघी पो0-बरवा थाना-आदापुर जिला-पूर्वी चम्पारण सी.आरनं0-140841 / 15	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
27	लीला देवी पति-रामबाबु राय ग्राम-बहरामपुर पो0-साईस्तापुर थाना-राघोपुर जिला-वैशाली सी.आरनं0-87189 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
28	हरिवंश राय पिता-जामुन राय ग्राम+पो0-बसौली थाना-कुढ़नी जिला-मुजफ्फरपुर पंजी / ओ.पी.डी-048110 / 15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000 /-(चालीस हजार) स्वीकृत।
29	ललीता देवी पति-कैलाश चौधरी ग्राम-कोपीन पो0-बीजु बीगहा थाना-सीतामढी जिला-नवादा सी.आरनं0-128587 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
30	राम उमेद सिंह पिता-बखोरी सिंह ग्राम+पो0-सरसी थाना-पालीगंज जिला-पटना सी.आरनं0-085380 / 15	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 18,55,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 18,55,000 /-(अठारह लाख पचपन हजार)मात्र का क्रास चेक सं. 509029
.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

20/11/15
4/11/15

5. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में अवश्य किया जाय। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1360(14)

पटना, दिनांक - 8-12-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/15
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)